राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक :– प.5(8)नविवि/3/99 दिनांक 27.01.2009

आदेश

कृषि भूमि के नियमन हेतु राज्य सरकार द्वरा निर्धारित नियमन शुल्क/हस्तांतरण शुल्क जमा करने के संबंध में इस विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक प.5(8)नविवि/3/99, दिनांक 29.12.20004 में यह व्यवस्था दी गई थी कि भू–स्वामी द्वारा नियमन शुल्क/हस्तांतरण शुल्क की राशि दो भागों में निम्नानुसार जमा कराई जायेगी :–

1. स्थानीय निकाय विभाग के अंश की राशि (60 प्रतिशत) स्थानीय निकाय द्वारा निर्धरित चालान/नकद प्राप्ति रसीद (जैसी भी व्यवस्था हो) के द्वारा जमा की जायेगी।
2. राज्य सरकार के हिस्से की राशि (40 प्रतिशत) सीधे चालान के जरिये राज्य कोष में लेखा शीर्ष 0029–भू–राजस्व–800–अन्य प्राप्तियां (07) कृषि भूमि को आबादी भूमि में बदलने की फीस (01) नगरीय विकास विभाग के माध्यम से, में जमा कराई जायेगी।

राज्य कोष मे राशि जमा कराने के लिये संबंधित स्थनीय निकाय द्वारा उपरोक्त लेखा शीर्ष अंकित कर चालान फार्म अपने स्तर पर मुद्रित कराया जायेगा, जिससे राशि के वर्गीकरण में त्रुटि की कोई सम्भावना नहीं रहे एवं चालान को बिना कोष कार्यालय से पारित करवाये सीधे राशि अधिकृत बैंक शाखा में कराई जा सके।

राज्य सरकार की जानकारी में आया है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यासों एवं स्थानीय निकायों द्वारा उक्त निर्देशों की पालना प्रभावी तरीके से नहीं की जा रही है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि संबंधित स्थानीय निकाय के मुख्य कार्याकारी अधिकारी एवं निकाय में पदस्थापित लेखा सेवा/अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे राज्य हिस्से की राशि (40 प्रतिशत) सीधे उपरोक्तानुसार राज्य कोष में जमा कराये जाने के लिये निर्धारित की गई उपरोक्त प्रक्रिया की पालना कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस संबध में की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराया जावे।

उप शासन सचिव–प्रथम